कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 2937/1जी– **FP/UK/Others/25839/2017** देहरादूनः दिनांकः 22 फरवरी, 2018

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत **Proposal for permission of laying of OFC line along with Misrasspatti and Dudhai Marg (0.0951ha)**
(Online file NO -FP/UK/Others/25839/2017)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि जनपद–**देहरादून के अन्तर्गत Proposal for permission of laying of OFC line along with Misrasspatti and Dudhai Marg (0.0951ha)** हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव आनलाईन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भू0स0 वन प्रभाग, कालसी एवं वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी सहमती व्यक्त की गई है। बी0एस0एन0एल0 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार जनपद–देहरादून में कालसी भू0स0 वन प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 3G/4G जैसी नई तकनीकी सुविधाओं के लिए तथा दूर संचार की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना का कार्य किया जाना है। इससे भविष्य में स्थाई तथा अस्थाई रूप से लोगो को रोजगार मिलने की सम्भावना है। प्रश्नगत परियोजना का कार्य व्यापक जनहित में किया जा रहा है। अतः वन भूमि के कथित परियोजना हेतु अनुमति दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण के अन्तर्गत नही आता है। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में वृक्षों का पातन निहित नही है।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या 11–568/2014 –एफ.सी. दिनांक 02–02–2015 के द्वारा भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। (संलग्नक–01) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24–04–2008 एवं आदेश दिनांक 09–05–2008 तथा तत्क्रम में भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 (संलग्न–02) के द्वारा OFC लाईन बिछाने के प्रस्तवों पर एन0पी0वी0 की देयता से छूट प्रदान की गई है।

अतः अनुरोध है, कि उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद– **देहरादून के अन्तर्गत Proposal for permission of laying of OFC line along with Misrasspatti and Dudhai Marg (0.0951ha)** प्रस्ताव पर राज्य सरकार की अनुमति प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(विनीत कुमार पांगती)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी– **FP/UK/Others/25839/2017** तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जनपद–देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भू0स0 वन प्रभाग, कालसी।
3. मण्डलीय अभियन्ता, संचार परियोजना (बी0एस0एन0एल0) देहरादून।

(विनीत कुमार पांगती)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी